



# HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक-05.08.2022

## प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी:-

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 22/12/2021 को थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 437/2021 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में नामजद अभियुक्त जावेद अहमद पुत्र हैदर अली निवासी कजियाना मोहल्ला कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।